संख्या–983 / 15–7–2017–1(15) / 2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः d जुलाई,2017

विषयः– द संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी0बी0एस0ई0बोर्ड,नई दिल्ली से समबद्धता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क को मुक्त किये जाने एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने संबंधी मानक को शिथिल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ ने अपने पत्रांक–8051 / पी0ए0, दिनांक 23 जून, 2017 द्वारा मुख्यतः यह अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 शासन (आवास विभाग) द्वारा चक गजरिया, सिटी में **द संस्कृति स्कूल** की स्थापना हेतु अनुदान दिया गया है, जिसके कम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में वर्ष 2017–18 के अकादमिक सत्र का प्रारम्भ जुलाई, 2017 में होगा, जिसमें कक्षा 06 से 08 तक का संचालन वर्ष 2017–18 तक इसके आगे की कक्षाओं का संचालन वर्ष 2018–19 से किया जाना प्रस्तावित है। द संस्कृति स्कूल के संचालन के लिए सी0एस0आई0, एजूकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन हैं। द संस्कृति स्कूल की स्थापना दिल्ली में स्थापित संस्कृति स्कूल की तर्ज पर की जा रही है। इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्ध कराये जाने का निर्णय मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया गया है।

उक्तानुसार अवगत कराते हुए यह अनुरोध किया गया है कि शासनादेश सं0–2762 / 15–13–91–4(46) / 91, दिनांक 30नवम्बर, 1991 के परिशिष्ट–3 में उल्लिखित मानकों को शिथिल करते हुए शासन स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाय, जिससे मण्डल स्तरीय समिति में प्रस्ताव पारित करने की प्रकिया में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके। साथ ही विद्यालय का संचालन व्यय आगामी 05वर्षो में शासन द्वारा ही वहन किया जा रहा है, अतः इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क से छूट प्रदान कर दिया जाय। यह भी अवगत कराया गया है कि द संस्कृति स्कूल द्वारा शासनादेश सं0–2762 / 15–13–91–4(46) / 91, दिनांक 30नवम्बर, 1991 के परिशिष्ट–3 में अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के समस्त मानकों की पूर्ति वर्तमान में विद्यालय द्वारा नहीं की जा रही है क्योंकि वर्तमान में विद्यालय प्रारम्भ ही हो रहा है। कालान्तर में समस्त मानकों की पूर्ति विद्यालय द्वारा की जायेगी।

......2

PRINCIPAL
The Sanskriti School
Lucknow

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त **द संस्कृति स्कूल** के प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 के अकादमिक सत्र का प्रारम्भ जुलाई, 2017 में होगा, जिसमें कक्षा 06 से 08 तक का संचालन वर्ष 2017-18 तक इसके आगे की कक्षाओं का संचालन वर्ष 2018-19 से किया जाना प्रस्तावित है। अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त **द संस्कृति स्कूल** को सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क से मुक्ति प्रदान करते हुए शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के साथ ही सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति भी व्यक्त की जाती है।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 983 (1)/15-7-2017, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3- डा0 आशीष कुमार गोयल,सचिव,सी0एस0आई0 एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- संयुक्त शिक्षा निदेशक,षष्ट मण्डल,लखनऊ।
6- जिला विद्यालय निरीक्षक,लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
अनु सचिव।

PRINCIPAL
The Sanskriti School
Lucknow